राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, फतेहपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बिराणियां

—::आदेश::—

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना–पत्र एवं पटवारी बिराणियां व भू.अ.नि. बिराणियां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार फतेहपुर /नायब तहसीलदार फतेहपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ठि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ठि (अशुद्ध प्रविष्ठि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्ठि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	बिराणियां	83	महेश पुत्र बापूराम	रमेश कुमार पुत्र बापूराम

(रेनू मीणा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
फतेहपुर

दिनांक : 08-06-18

क्रमांक : 4010/राजस्व/18

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रमेश कुमार पु० बापूराम नि. बिराणियां को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
फतेहपुर

Recd
8/6